FROM :M. SECRETARIAT*BIHAR*PATNA FAX NO. :06122205800 8 Jan. 2010 10:29AM P1

पत्र संख्या— ज0शि0को0—13/2007— 5700073/मु0मं0स0

बिहार सरकार
मुख्य मंत्री सचिवालय

प्रेषक : एस0 सिद्धार्थ,
सचिव ।

सेवा में : जिला पदाधिकारी (सभी)
पुलिस अधीक्षक (सभी)
बिहार।

पटना, दिनांक — 7 जनवरी, 2010

विषय : जन शिकायत से संबंधित आवेदन पत्रों के निष्पादन/जाँच प्रतिवेदन के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि जन शिकायत से संबंधित आवेदन पत्रो को प्राप्त होने के बाद कुछ जिलों के द्वारा शिकायतकर्त्ता का मूल आवेदन पत्र एवं स्थानीय जाँचकर्ता के जाँच प्रतिवेदनों को मूल रूप में मुख्य मंत्री सचिवालय को प्रेषित किया जाता है, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई की प्रविष्टी वेब साईट पर अपलोड की जानी चाहिए तथा जिला स्तरीय जन शिकायत —सह— सूचना कोषांग के स्तर से प्रत्येक आवेदक को भी कार्रवाई के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, यदि आवेदन पत्र का अन्तिम निस्तार कर दिया गया हो तो इस आशय की प्रविष्टी भी वेब साईट पर अपलोड की जाय। किसी कारणवश अपलोड करने में यदि कठिनाई हो तो जाँच का निष्कर्ष संक्षेप में प्रतिवेदन के रूप में भेजा जा सकता है। आवेदक का आवेदन पत्र, जाँच रिपोर्ट आदि भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है तबतक जबतक कि किसी विशिष्ठ मामले में ऐसा विशिष्ठ निर्देश न हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम — 2005 के प्रभावी हो जाने के कारण स्थानीय स्तर पर किये गये जाँच से संबंधित प्रतिवेदन एक बहुमूल्य अभिलेख के रूप में स्थानीय कार्यालय में उपलब्ध रहना चाहिए ताकि आवेदक यदि चाहें तो इसकी सूचना स्थानीय स्तर से प्राप्त कर सकें।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

6/1/10
(एस0 सिद्धार्थ)
सचिव ।

ज्ञापांक-56 /जिला जन शिकायत, मधुबनी, दिनांक-14वींजनवरी 2010
प्रतिलिपिः- अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/उप विकास आयुक्त, मधुबनी/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी जिला/सभी अंचल अधिकारी, मधुबनी जिला/समाहरणालय स्थित सभी कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/1/10
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग
मधुबनी ।